

## \*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.09.2020 जनपद देवरिया\*

दिनांक 14.09.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

### \*01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-\*

➔थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.रितिक पत्र राजेश सा0 लक्ष्मीपुर भटठा थाना तरकुलवा, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.विनोद साहनी पुत्र सूर्यभान सा0 कटईलवा थाना बरहज, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भटनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.मुकेश कुमार पुत्र सुरेश सा0 खुटहा बभनौली थाना विजयीपुर बिहार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया

➔थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 01.मंगल उराव पुत्र जागे सा0 घुडसो थाना सिसई गुमला झारखण्ड 02.बीरबल राजभर पुत्र रामनजर सा0 रूस्तमपुर थाना खुखुन्दू, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया

➔थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.रणजीत कुमार गौड पुत्र चांदबली सा0 मझवा थाना मदनपुर, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया

### \*02. 08 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –\*

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक भलुअनी द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.घनश्याम सिंह पुत्र स्व0 श्रीराम सिंह 02.प्रसिद्ध सिंह पुत्र स्व0 श्रीराम 03.फतेहबहादुर पुत्र राजकिशोर 04.सूरज सिंह पुत्र संजय सिंह 05.रणजीत उर्फ मुन्ना पुत्र हरिशंकर 06.संजय सिंह पुत्र स्व0 श्रीराम 07.तेजबहादुर पुत्र स्व0 राजकिशोर 08.यदुवंशी पुत्र झिनक यादव समस्त सा0 लंगडा बाजार थाना भलुअनी, देवरिया का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना भलुअनी में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

### \*03. 02 गौ तस्करो के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –\*

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक भाटपार रानी द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.गोविन्द यति पुत्र दिनेश चन्द्र 02.रूपई यति पुत्र रामप्रवेश यति सा0 मठिया थाना बनकटा, देवरिया का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर गौ तस्करी जैसे अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना भाटपार रानी में अपराध धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

### \*04. 04 शराब तस्करो के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –\*

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक सलेमपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.दिग्विजय मिश्रा पुत्र अनिल मिश्रा 02.पिन्टू उर्फ अभय पुत्र अनिल मिश्रा सा0 दिवाढार थाना सलेमपुर, देवरिया। 03.छोटे उर्फ अमित पुत्र चन्द्रिका तिवारी सा0 तेतरी हर्दो थाना लार, देवरिया। 04.कमलेश कुमार निषाद पुत्र जोखू सा0 गौरा थाना बरहज, देवरिया का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर शराब तस्करी जैसे अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना सलेमपुर में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

#### **\*05. निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 14.09.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 31 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

#### **\*06. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 14.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 274 वाहनों से 191100 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।